सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 149 राँची, सोमवार

19 माघ, 1937 (श०)

8 फरवरी, 2016 (ई०)

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

संकल्प

4 फरवरी**, 2016**

विषय:- बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के आस्तियों एवं दायित्वों का झारखण्ड एवं बिहार राज्य के बीच बँटवारा के क्रम में 41.95 करोड़ रूपये बिहार सरकार को देने हेतु उक्त राशि झारखण्ड राज्य खाद्य निगम को देने तथा दिनांक 14 नवम्बर, 2000 और उसके बाद कार्यरत कर्मियों का सेवानिवृति लाभों का भुगतान के संबंध में ।

संख्या- प्र॰ 5 रा॰खा॰नि0 स्था॰-1/2016 - 389 --खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची क संकल्प ज्ञापांक 223, दिनांक 31 जनवरी, 2011 में उल्लेखित है कि बिहार एवं झारखण्ड राज्य की आपसी सहमति से भारत सरकार, गृह मंत्रालय के आदेश संख्या 1202/25/2004-SR, दिनांक 16 दिसम्बर, 2005 के आलोक में बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड एवं झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के बीच आस्तियों एवं दायित्वों का बँटवारा निम्न रूप से करने का निर्णय लिया गया है:-

i. बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के अचल सम्पत्तियों का बँटवारा जो जिस राज्य में अवस्थित है, के अनुसार 'As is where is' के आधार पर होगा ।

ii. अचल सम्पत्तियों (उन पर देनदारियों सहित) को छोड़कर शेष सभी परिसम्पत्तियों एवं देनदारियों के मूल्यांकन का कट ऑफ डेट दिनांक 14 नवम्बर, 2000 होगा तथा अचल सम्पत्तियों (उन पर देनदारियों सहित) को छोड़कर शेष सभी परिसम्पत्तियों का बिहार एवं झारखण्ड राज्यों के बीच 3:1 के अनुपात में बँटवारा में किया जायेगा ।

iii. झारखण्ड राज्य सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत दिनांक 14 नवम्बर, 2000 को बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के अधीन जितने पद स्वीकृत थे तथा उक्त स्वीकृत पदों के विरूद्ध नियमित रूप से जितने कर्मिक उक्त तिथि तक झारखण्ड राज्य सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत पदस्थापित थे, उतनी संख्या में कर्मिकों की सेवा झारखण्ड राज्य को हस्तांतरित की जायेगी ।

iv. बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के मुख्यालय में पद बल के विरूद्ध दिनांक 14 नवम्बर, 2000 को जितने कर्मिक कार्यरत थे उसे 3:1 के अनुपात में कर्मिकों का बँटवारा बिहार एवं झारखण्ड राज्य के बीच होगा। दिनांक 14 नवम्बर, 2000 के बाद अगर सेवानिवृति अथवा अन्य कारणों से पद रिक्त हुए हों, वैसी स्थिति में रिक्त पदों का बँटवारा 3:1 के अनुपात में किया जायेगा ।

v. बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के चल सम्पत्तियों एवं देनदारियों के बँटवारा हेतु दोनों राज्यों के पदाधिकारियों के एक संयुक्त कमिटि गठित की जायेगी, जिसके प्रतिवेदन के आधार पर चल सम्पत्तियों एवं देनदारियों के बँटवारा कट ऑफ डेट दिनांक 14 नवम्बर, 2000 के आधार पर बिहार एवं झारखण्ड राज्यों के बीच 3:1 के अनुपात में किया जायेगा ।

vi. आस्तियों एवं दायित्वों का बँटवारा दिनांक 31 मार्च, 2000 के 'ऑडिटेड लेखा' के आधार पर होगा ।

2. माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर वाद संख्या 17837/2011 रामदेव प्रसाद बनाम बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड एवं अन्य में दिनांक 26 अगस्त, 2015 को पारित न्यायादेश में आदेश दिया गया है कि बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के परिसम्पत्तियों, देनदारियों तथा कार्यरत कर्मियों एवं सेवानिवृत कर्मियों के सेवांत लाभों का दोनों राज्यों के निगमों के बीच न्यायादेश के पारित होने की तिथि से तीन माह के अंदर बँटवारा करें।

उक्त न्यायादेश के अनुपालन हेतु भारत सरकार, गृह मंत्रालय के अर्द्धसरकारी पत्र संख्या 12025/25/2004-SR, दिनांक 21 दिसम्बर, 2015 द्वारा निर्गत पत्र में यह उल्लेख है कि दिनांक 16 दिसम्बर, 2005 के आदेश का अनुपालन किया जाय।

3. गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 16 दिसम्बर, 2005 को जारी आदेश के अनुपालन में दिनांक 14 नवम्बर, 2000 का बैंलेंस शीट एवं प्रोफिट एण्ड लॉस (Profit & Loss) एकाउन्ट तैयार किया गया। अधिसूचना में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार अचल सम्पति का बँटवारा ''As is Where is'' के आधार पर एवं अन्य चल सम्पतियों एवं देनदारियों का बँटवारा 3:1 के आधार पर किये जाने का उल्लेख है। उक्त आधार पर झारखण्ड राज्य के हिस्से का दायित्व 112.66 करोड. रूपये एवं आस्ति 70.71 करोड़ रूपये है। तदनुसार झारखण्ड राज्य के आस्ति का समायोजन दायित्वों से करने के पश्चात 41.95 करोड़ रूपये के भुगतान के संबंध में बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के आस्तियों एवं दायित्वों के बँटवारा हेतु दोनों राज्य के पदाधिकारियों के बीच दिनांक 15.01.2016 को बिहार, पटना में आहूत बैठक में 41.95 करोड़ रूपये का दायित्व भार झारखण्ड सरकार द्वारा बिहार सरकार को देने पर सहमति बनी है।

4. विदित होगा कि विभागीय संकल्प संख्या 1004, दिनांक 06 जून, 2009 द्वारा झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को गठन किया गया। बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के झारखण्ड राज्य के अवस्थित गोदामों एवं झारखण्ड राज्य में कार्यरत कर्मचारियों की सेवाएं की प्रक्रिया संकल्प संख्या 223, दिनांक 31 जनवरी, 2011 द्वारा की गयी है। झारखण्ड राज्य खाद्य निगम अपने आयस्त्रोत से अपने कर्मियों का वेतन भुगतान करता है। यह निगम शैशव काल में है साथ ही उसकी आर्थिक स्थिति उतनी सुदृढ़ नही है, जिसके आधार पर 41.95 करोड़ रूपये का दायित्व भार बिहार सरकार को दे सके।

5. बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के वित्तीय आस्तियों एवं दायित्वों के बँटवारे के क्रम में नव सृजित झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को 41.95 करोड़ रूपये के दायित्त्व भार का वहन झारखण्ड सरकार द्वारा किया जायेगा। यह राशि झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची को उपलब्ध करायी जायेगी एवं निगम इसे बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड/बिहार सरकार को उपलब्ध करायेगी। यह राशि तृतीय अनुपूरक के माध्यम से योजना मद के मुख्यशीर्ष-3456-सिविल पूर्ति-00-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता उपशीर्ष से झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को एकमुश्त राशि उपलब्ध कराना-0679-से किया जायेगा।

6. भारत सरकार, गृह मंत्रालय के आदेश संख्या 12012/25/2004-SR, दिनांक 16 दिसम्बर, 2005 की कंडिका (iii) में दिये गये निदेश के आलोक में विभागीय पत्रांक 819, दिनांक 18 अप्रैल, 2006 द्वारा बिहार सरकार को सूचित किया गया था कि झारखण्ड राज्य में कार्यरत निगम के उन्हीं पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्वीकार किया जायेगा, जो दिनांक 14 नवम्बर, 2000 को झारखण्ड राज्य में पदस्थापित थें । विभागीय संकल्प संख्या 223, दिनांक 31 जनवरी, 2011 में दिनांक

31 अगस्त, 2010 को राज्य में कार्यरत 352 कर्मियों की सेवा लेने का उल्लेख है परन्तु दिनांक 14 नवम्बर, 2000 के बाद राज्य में कार्यरत एवं दिनांक 31 अगस्त, 2010 से पहले सेवानिवृत कर्मियों के सेवानिवृत लाभ के संबंध में निर्णय नहीं लिया जा सका है। इस परिपेक्ष्य में बिहार राज्य खाद्य निगम के कर्मियों जो दिनांक 14 नवम्बर, 2000 या उसके बाद झारखण्ड राज्य में कार्यरत है/रहें है उन्हें सेवानिवृति लाभों का भुगतान झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम राँची द्वारा किया जाना अपेक्षित है। उक्त परिपेक्ष्य में यह सैद्धान्तिक रूप से निर्णय लिया गया है कि झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड से वैसे कर्मी जो दिनांक 14 नवम्बर, 2000 के बाद झारखण्ड राज्य में पदस्थापित थे, एवं उन्हें सेवानिवृति का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, उन्हें देय सेवानिवृति लाभ का भुगतान झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा किया जाय । अगर आवश्यक हो तो झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्त कर सकती है ।

7. मुख्यालय में कार्यरत कर्मियों का बँटवारा 3:1 के अनुपात में ही करना था परन्तु अब इसकी आवश्यकता नहीं है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
विनय कुमार चैबे,
सरकार के सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 149—50।